

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ओखलकाण्डा, नैनीताल

मैनुअल – 13

संस्थान द्वारा किसी प्रकार की सहायता / रियायत निर्गत करने का कार्य नहीं किया जाता है । केवल विभिन्न शासनादेशों द्वारा अनुमन्य आरक्षण सुविधायें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महिलायों, सैनिक आश्रितो आदि वर्गों हेतु प्रशिक्षण स्थानों में दी जाती हैं ।

इनके अतिरिक्त शासनादेशों द्वारा अनुमन्य सैनिकों एवं जम्मू कश्मीर के निवासियों को भी प्रशिक्षण स्थान आरक्षित किये जाते हैं ।

विभिन्न वर्गों के प्रशिक्षार्थियों को शासनादेशों द्वारा अनुमन्य छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं ।